प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति अनुभाग देहरादूनः दिनाँकः 26 मार्च, 2025

विषयः—पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या—3462/सं0नि0उ0/दो—32/2024—25, दिनांक 31.01.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11—लेखाशीर्षक—2205 के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित योजनाओं के मानक मदों सम्मुख उल्लिखित धनराशि संलग्न बी0एम0—09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र.सं.	योजना	पुनर्विनियोग के माध्यम से अन्तरित की जाने वाली धनराशि
1.	अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक— 2205— कला एवं संस्कृति—00—001— निदेशन तथा प्रशासन—03— सांस्कृतिक कार्य निदेशालय—00— 02—मजदूरी 07—मानदेय	 487000 650000
2.	अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक— 2205— कला एवं संस्कृति—00— 102—कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन —08— रंगमंडल की स्थापना—00— 56— सहायता अनुदान(सामान्य गैर वेतन)	 160000
	योग—	1297000

2— उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैं:—

i. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का आहरण/आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ii. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि

File No. CR-BUDG/1/1/2023-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 51449)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department on 26/03/2025 04:12 PM

उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।

iii. आंवटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।

iv. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v. जिन मदों से बी०एम०–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आंवटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी०एम०–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

vi. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 111469/09(150)/2019XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2013 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016, दिनाक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

ix. पुनिर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–11–लेखाशीर्षक–2205– कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–09–वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/लेखकों को मासिक पेंशन–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मानक मद के संलग्न बी०एम–09 के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जेनरेटड संख्या–I/284924/2025, दिनांक 22.3.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

Signed by
Yugal Kishore Pant
(युगल किशोर पन्त)
Date: 26-03-2025 14:51:38

File No. CR-BUDG/1/1/2023-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 51449)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department on 26/03/2025 04:12 PM

सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फाईल।

(युगल किशोर पन्त)
सचिव।

File No. CR-BUDG/1/1/2023-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 51449)
Generated from eOffice by UMRAO SINGH GUSAIN, RO-Culture and Religion Section-USG, REVIEW OFFICER, Culture and Religion Department on 26/03/2025 04:12 PM